



21/486/91 उत्तर भारत 2000
राजेन्द्र प्रसाद भद्र आत्मज श्री कृष्णदत्त शर्मा स. 50 एवं उप तहसील -
तेमरिया, जिला गुरुग्राम रोपां म. प्र. ४

.... आवेदक

R. P
22/12/8
26/12/2000

- 1:- प्रेमदत्त तनय श्री लक्ष्मीशंकर ५ सभो निवासी ग्राम एवं उप तहसील
2:- मोहन तनय श्री लक्ष्मीशंकर ५ तेमरिया, जिला रोपां म. प्र. ४
3:- हरोदत्त तनय श्री लक्ष्मीशंकर ५ अनावेदक गा

राजेन्द्र प्रसाद भद्र आत्मज श्री कृष्णदत्त शर्मा स. 50 एवं उप तहसील -
तेमरिया, जिला गुरुग्राम रोपां म. प्र. ४
दिनांक 25.12.2000

1/61/25/9
19 DEC 2000
मान्यवर,

R. 2467-प्र 2000
राजेन्द्र प्रसाद भद्र आत्मज श्री कृष्णदत्त शर्मा स. 50 एवं उप तहसील -
तेमरिया, जिला गुरुग्राम रोपां म. प्र. ४

यह पुनरोक्षण आवेदन पत्र न्यायालय अपर कमि
रोपां संभाग रोपां म. प्र. के प्रकरण क्र. 27
अप्रैल 95-96 दिनांक 23.9.2000 के/दि
धारा -50 म. १० भू. रा. सं. सन् 195
के अनुशार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरोक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित हैं:-

यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय के विधि एवं प्रक्रिया
विस्तृत है, क्यों कि अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिरमौर के प्रक
क्रमांक 108 / 36/94-95 में पारित आदेश दिनांक 9.5.95 के विरु
द्ध मृतक कृष्णदत्त शर्मा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपोल प्रस्तुत
गई थी, किन्तु कृष्ण दत्त शर्मा को मृत्यु दिनांक 31.5.97 को हो चु
की थी, और आवेदक को अपोल प्रस्तुत करने व प्रकरण के बारे में कोई ज
कारो नहीं थी।

2:- यह कि दिनांक ४.७.२००० को इस आशयका आवेदन पत्र प्र
क्रियागता, कि पिता श्री कृष्णदत्त को मृत्यु दिनांक 31.5.97 को चुको
तथा एक प्रकरण में पुकार होने को बजहते दिनांक ४.७.२००० को
को जानकारों हुई, इसलिये आवेदक द्वारा पक्षकार बनाये जानेका आदे
प्रस्तुत कियागया, जो विधिर्वां प्रक्रिया के अनुकूल है।

क्रमांक: 2

- दास नाना ने कहा -

C.F. 13.5.15

31 अगस्त,

11
2052

(१)

13-5-15

प्रकरण बोला - इसमें जारी होने वाले कानून
के अनुसार यह एक अवैध वाला है।
प्रकरण का 2050 के लिए ही बोला है। बोला है
कि यह 2050-दाम पर कठोर है। यहाँ से यह
अवैध है। आज 15 अप्रैल को
इसे घोषित कर दिया गया है। और यह
एक अवैध वाला है। इसके अनुसार
कोई नहीं है। बोला है कि 2050 के
कानून ने बोला है कि इसे 2050-दाम पर
किया दिया गया है। अब यहाँ से
कोई नहीं है। प्रकरण बोला है कि

2050